फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री हेमेन्द्र सिंह पिता मिट्ठन सिंह C/o सोहनलाल माण्डोत निवासी सदर बाजार, राजनगर, जिला राजसमन्द — अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 05/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 16.02.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2021/131—132 दिनांक 11.02.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 30.11.2020 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उदयपुर के यहॉ की गई। उक्त आरटीआई आवेदन सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अपर जिला कलक्टर राजसमन्द को धारा 6(3) में सूचना उपलबध कराने हेतु अन्तरण की गई। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अपर जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा पत्रांक 453 दिनांक 17.12.2020 से सूचना दी गई जिससे संतुष्ट नही होने पर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील नोटिस के संबंध में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अपर जिला कलक्टर राजसमन्द से आवेदन पत्र दिनांक 30.11.2020 में वर्णित सूचना के संबंध में सूचना दी गई अथवा नही दी गई के संबंध में जवाब चाहा गया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अपर जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक 41 दिनांक 29.01.2021 से बिन्दुवार जवाब यह है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना संविदाकर्मी श्री आनन्द किशोर भाटिया की नियुक्ति से संबंधित है, जो तृतीय पक्ष की सूचना है, जिसे धारा 11 के अर्न्तगत संबंधित को सूने बिना नही दी जा सकती है, प्रार्थी/अपीलांट ने यह नही दर्शाया है कि तृतीय पक्षकार की सूचना के प्रकटन में क्या लोकहित निहित है अतः ऐसी सूचना धारा 8 (1)(j) के आलोक में अदेय है। धारा 04 बाध्यता में भी ऐसी सूचना दी जाने की बाध्यता नही हैं। संबंधित व्यक्ति विभिन्न न्याय दृष्टांतो सहित अपनी आपत्ती दिनांक 02.11.2020 को आपको प्रस्तुत कर चुका हैं। प्रस्तुत प्रकरण के समान ही जिला कलक्टर कार्यालय राजसमन्द के कार्मिक की पूर्व में सूचना अदेय होने से जारी नही की गई थी, जिसके विरूद्ध जिला कलक्टर न्यायालय राजसमन्द ने अपील अस्वीकार की थी, उसके विरूद्ध भी राज्य सूचना आयोग जयपुर में दिनांक 16.11.2015 को अपील खारीज हो चुकि हैं। उपरोक्त के अलावा धारा 8 (1)(j) के प्रावधान प्रकटन छूट पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारीत निर्णय दिनांक 03.09.2013 एवं 07.10.2013 । सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अपर जिला कलक्टर राजसमन्द के	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार चाही गई निजी सूचना जिसके प्रकटन में कोई लोकहित निहित नहीं होने से एवं राज्य सूचना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग तथा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय में व्यक्त अभिमत एवं निष्कर्षों के प्रकाश में ऐसी सूचना जारी नही की जा सकती हैं।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार चाही गई निजी सूचना जिसके प्रकटन में कोई लोकहित निहित नहीं होने से एवं राज्य सूचना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग तथा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय में व्यक्त अभिमत एवं निष्कर्षों के प्रकाश में ऐसी सूचना जारी नही किये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द